फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना राजेपुर

दिनांक - 13.11.2026

थाना राजेपुर पुलिस टीम द्वारा साइबर ठगी से सम्बंधित 01 अभियुक्त को 01 मोबाइल व कुल 10,87,488/- रुपये की साइबर ठगी में किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस टीम द्वारा प्रतिबिम्ब पोर्टल पर साइबर सम्बंधी शिकायती प्रार्थना पत्र में नामित युवक को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. करन पुत्र श्याम सिंह निवासी हरिहरपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 12.11.2026 को थाना राजेपुर पर प्रतिबिम्ब पोर्टल पर साइबर सम्बंधी शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध करन सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी हरिहरपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को साइबर फ्राड सम्बंधी जाँच हेतु थाना राजेपुर लाया गया जहाँ पर साइबर हेल्प डेस्क द्वारा गहनता से जाँच करने पर करन उपरोक्त के 05 खातो में कुल 06 साइबर की शिकायत के माध्यम से साइबर फ्राड की कुल 10,87,488/- रूपयों की धनराशि पायी गई। अभियुक्त को हिरासत में लेकर थाना राजेपुर पर मु0अ0सं0 216/26 धारा 318(4) बीएनएस तथा 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त करन नें पूछने पर बताया कि मैं अपने खाते खुलवाकर किराये पर देता हूँ वो लोग जस्ट डायल पर अपना कोई भी सामान जैसे सीमेण्ट, गेहूं, चीनी, काजू, बादाम, कोल्ड ड्रिंक आदि सस्ते दामों में बेचने सम्बंधी एड लगा देते है व फर्जी दस्तावेज लगाये रहते है। जो भी उनके झासे में फस जाते है उससे रुपये इन्ही खातो में डलवा लेते है व साइबर ठगी कर लेते थे।

बरामदगी का विवरण-

01. एक एंड्राएड मोबाइल
02. एक सिम

अभियुक्त करन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 216/26 धारा 318(4) बीएनएस तथा 66 डी आईटी एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 64/25 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस थाना मेमारी जिला पूरवा बर्धमान पश्चिम बंगाल।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अजब सिंह।
3. ASI श्री सत्येन्द्र कमार
4. हे0का0 विश्वनाथ सिंह
5. का0 बीरज
6. का0 सौरभ सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट–थाना जहानगंज

दिनांक - 13.11.2026

थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में नामजद अभियुक्त को आलाकत्ल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पर पंजीकृत 216/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त सुभाष चन्द्र कुशवाहा को हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल बांस का डंडा व रस्सी सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सुभाष चन्द्र कुशवाहा पुत्र स्व0 रामविलास निवासी ग्राम सरवर आलमपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 12.11.2026 को डॉयल 112 के माध्यम से ग्राम सरवर आलमपुर में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्त दीपक पुत्र स्व0 नन्दराम निवासी ग्राम नगला चाहर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ के रूप में की गई। मृतक के भाई वादी की तहरीर के आधार पर थाना जहानगंज पर मु0अ0सं0 216/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस बनाम सुभाष चन्द्र कुशवाहा व अन्य अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियोग में वांछित अभियुक्त सुभाष चन्द्र कुशवाहा पुत्र स्व0 रामविलास निवासी ग्राम सरवर आलमपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ को हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल बांस का डंडा व रस्सी सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त सुभाष चन्द्र उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 11.11.2026 की रात जब वह खेत से घर लौटा तो उसने दीपक को अपनी पुत्री के साथ घर के अंदर देखा। इस बात से आक्रोशित होकर उसने घर में रखे बांस के डंडे से दीपक के साथ मारपीट की तथा अपने भतीजे विमलेश उर्फ भूरे पुत्र स्व0 जितेन्द्र को बुलाकर दोनों ने मिलकर रस्सी से गला कसकर दीपक की हत्या कर दी तथा शव को खंडहर के पास फेंक दिया था। मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए।

अभियुक्त सुभाष चन्द्र उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 216/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 बांस का डंडा, रस्सी
2. 01 हरे रंग की रेडीमेड शर्ट (घटना के समय पहनी हुई, जिस पर लाल दाग लगे हैं)।
3. 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तारी करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजमोहन पाल
2. उ0नि0 श्री घनश्याम सिंह
3. का0 अंकुर
4. का0 सोनू

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली-मोहम्मदाबाद

दि0-13.11.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. संजय पुत्र जगदीश ठाकुर निवासी हितकारी थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ हाल पता नीवकरौरी विधुत पॉवर हाउस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ 2. राजीव कुमार पुत्र रामदास वर्मा निवासी पही नगला थाना नयागांव जनपद एटा हाल पता नीवकरौरी विधुत पॉवर हाउस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0- 102/2004 वाद संख्या 267/2004 व520/2024 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगणके विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट द्वारा दिनांक 13.11.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर 04-04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10000-10000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार



को0 मो0 - हे0का0 राजेन्द्र कुमार



पैरोकार - का0 नीरज

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 13.11.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 335/2026 धारा 69/115(2)/352/351(3)/324 BNS में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. विजय विक्रम उर्फ रजत पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम बिचपुरिया थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 14.09.2026 को थाना मऊदरवाजा पर मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0 335/2026 धारा 69/115(2)/352/351(3)/324 BNS बनाम विजय विक्रम निवासी ग्राम विचपुरारिया थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ आदि 03 नफर बाबत वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाकर शादी न करना तथा वादिया द्वारा दबाब बनाने पर अभियुक्तों द्वारा वादिनी के साथ गाली-गलौज व मारपीट करने सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ था। विवेचना के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त विजय विक्रम उर्फ रजत पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम बिचपुरिया थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त विजय विक्रम उर्फ रजत ने पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त विजय विक्रम उर्फ रजत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 335/2026 धारा 69/115(2)/352/351(3)/324 बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामसहाय सिंह
2. उ0नि0 श्री कासिफ हनीफ
3. का0 नरेश कुमार
4. का0 विनीत कुमार
5. का0 प्रियांक

मीडिया सेल फतेहगढ़।